न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

पूरण बनाम भूमिधारी तहसीलदार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी मु.नं. 23/2021	
24-3-2022	वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर के पत्रांक 800/भू.अ./2022 दिनांक 23-3-2022 के द्वारा तथ्यात्मक जाँच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जो शामिल पत्रावली की गई। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 13-4-2022 को पेश हो। PO साहब अन्य कार्य में व्यस्त है। (हस्ताक्षर) रीडर उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	
13.04.2022	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से जॉच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से वकील प्रार्थी ने आज ही बहस सुनी जाकर प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी के निवेदन पर प्रकरण में बहस वकील प्रार्थी एक पक्षीय सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.04.29 10:49:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) जिला सीकर

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह RAS

प्रकरण संख्या	आरसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
23/2021	2021/159	15.06.2021	13.04.2022

उनवान प्रकरण

पूरण पुत्र रिछपाल उम्र 38 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम गढ़टकनेत तहसील श्रीमाधोपुर जिला – सीकर राजस्थान।

प्रार्थी

बनाम

1. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला – सीकर।

अप्रार्थी

उपस्थित :–

श्री हनुमान राम एड0 – प्रार्थी की ओर से

पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार श्रीमाधोपुर– अप्रार्थी नं. 1 की ओर से

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम [illegible] के तहत ग्राम गढ़टकनेत तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में अवस्थित खातेदारी आराजी कृषि भूमि खसरा नंबर 1832, 2338/1833, 2342/1830, 2344/1831 कुल किता 4 कुल रकबा 0.82 हैक्टर स्थित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.04.29 10:49:06 IST
Reason: SelfAttested

13/04/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

जिसके प्रार्थी एंव उसके परिवारजन राजस्व रिकार्ड अनुसार काबिज खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी ने उक्त कृषि भूमियों का सीमाज्ञान दिनांक 04.06.2021 को तहसीलदार श्रीमाधोपुर के आदेश कमांक 64/एल.आर./21 दिनांक 09.03.2021 की अनुपालना में पटवारी हल्का गढ़टकनेत द्वारा विधिवत तरीके से सीमाज्ञान करवा लिया है। जिसकी फोटो प्रति संलगन है। उक्त वर्णित भूमियों की प्रार्थी विधिवत रूपेण पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है। मौके पर कोई फसल काश्त की हुई नहीं है तथा किसी भी पड़ौसी काश्तकारान् से मोके पर सीमा का कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रार्थी की खातेदारी एंव कब्जा काश्त की भूमि की पत्थरगढ़ी सीमाज्ञान रिपोर्ट के अनुसार करवाया जाना आवश्यक एंव न्यायोचित हैं। उक्त पत्थरगढ़ी बाबत अन्य सह खातेदारान की सहमति है। जिसके बाबत सीमाज्ञान मौका रिपोर्ट एंव प्रार्थना पत्र दोनों में उक्त सह खातेदारान् ने अपने हस्ताक्षर कर रखे है। जिसकी पत्थरगढ़ी सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 04.06.2021 के अनुसार किये जाने का निवेदन प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किया गया। जिसकी अनुपालना में अप्रार्थी सं0 1 (तहसीलदार) द्वारा हाजिर अदालत नहीं आने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई एंव प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी बाबत अप्रार्थी सं. 1 से प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाही गई। जिस पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने जरिये पत्रांक 800/भू.अ./2022 दिनांक 23.03.2022 के द्वारा सीमाज्ञान अनुसार पत्थरगढ़ी करवाई जाने वाली भूमि पर कोई फसल नहीं है एंव ना ही किसी न्यायालय का कोई स्थगन होने बाबत अवगत कराते हुए पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु अपनी सहमति प्रदान की है।

प्रकरण में बहस वकील प्रार्थी एकपक्षीय सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अभिभाषक ने निवेदन किया कि ग्राम गढ़टकनेत तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में अवस्थित खातेदारी आराजी कृषि भूमि के साबिक खसरा [illegible] 2338/1833, 2342/1830, 2344/1831 कुल किता 4 कुल रकबा 0.82 हैक्टर स्थित जिसका प्रार्थी काबिज खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी ने उक्त कृषि भूमियों का सीमाज्ञान दिनांक 04.06.2021 को तहसीलदार श्रीमाधोपुर के आदेश कमांक 64/एल.आर./21 दिनांक 09.03.2021 की अनुपालना में पटवारी हल्का गढ़टकनेत द्वारा विधिवत तरीके से सीमाज्ञान करवा लिया है। उक्त सीमाज्ञान के

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.04.29 10:49:06 IST
Reason: SelfAttested

12/04/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

अनुसार पत्थरगढ़ी किये जाने का निवेदन वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में किया गया है। वहीं अप्रार्थी नं. 1 तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अपनी रिपोर्ट दिनांकित 23.03.2022 के द्वारा सीमाज्ञान दिनांक 04.06.2021 के अनुसार पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु अपनी सहमति प्रदान की है।

हमने वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस ध्यानपूर्वक सुनी। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों से यह प्रतीत होता है कि ग्राम गढ़टकनेत तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में स्थित खातेदारी आराजी कृषि भूमि के साबिक खसरा नंबर 1832, 2338/1833, 2342/1830, 2344/1831 कुल किता 4 कुल रकबा 0.82 हैक्टर स्थित है। जिसका प्रार्थी काबिज खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी की उक्त कृषि भूमियों का सीमाज्ञान दिनांक 04.06.2021 को तहसीलदार श्रीमाधोपुर के आदेश क्रमांक 64/एल.आर./21 दिनांक 09.03.2021 की पालना में पटवारी हल्का गढ़टकनेत द्वारा विधिवत तरीके से सीमाज्ञान करवा दिया गया है। जिसकी तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अपनी जॉच रिपोर्ट में पत्थरगढ़ी करवाई जाने वाली भूमि को मौके पर कोई फसल नहीं होकर खाली होने तथा कोई विवाद नहीं होने तथा उक्त भूमि के आस पड़ौस की भूमि भी मौके पर खाली होने बाबत अवगत कराते हुए अपनी सहमति प्रदान की है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर की जॉच रिपोर्ट के आधार पर उक्त करवाये गये सीमाज्ञान के अनुसार प्रकरण में पत्थरगढ़ी करवाया जाना न्यायहित में उचित प्रतित होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 को स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण में पटवारी हल्का गढटकनेत के द्वारा दिनांक 04.06.2021 को किए गए सीमाज्ञान के मुताबिक कृषि भूमि खसरा नम्बर 1832, 2338/1833, 2342/1830, 2344/1831 कुल किता 4 कुल रकबा 0.82 हैक्टर तन् ग्राम गढटकनेत तहसील श्रीमाधोपुर में पत्थरगढ़ी की कार्यवाही किए जाने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि वे पत्थरगढ़ी की फीस भू.अ. निरीक्षक फीस 900/– रूपये एंव दो पटवारियान् का फीस 600/– रूपयें प्रति पटवारी की

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.04.29 10:49:06 IST
Reason: SelfAttested

17/04/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

दर से 1200/—रूपये कुल 2100/— रूपयें जरिये चालान राज्य कोष में जमा ली जावें तथा मूल चालान की प्रति पेश होने पर पटवारी हल्का गढटकनेत द्वारा दिनांक 04.06.2021 को किए गए सीमाज्ञान के मुताबिक वर्तमान भौतिक मौका स्थिति में बिना परिवर्तन किये व सींव डोल को बिना हिलाये (प्रकरण में अंकित खसरा नम्बरान् पर किसी दीगर न्यायालय का कोई स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो) पत्थरगढ़ी की कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

12/04/22

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 13.04.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12/04/22

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.04.29 10:49:06 IST
Reason: SelfAttested